688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 अक्टूबर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 688वीं बैठक दिनांक 12/10/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. Case No 10068/2023 Ms. Uma Sharma M P INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, 101, FIRST FLOOR, ATULYA IT PARK, KHANDWA ROAD, INDORE Distt.- INDORE (M.P.) 452001. , Prior Environment Clearance for M/s MPIDC Ltd is proposing the construction of a commercial building "IT Park-III" at Khasra No. P144, P154, P155, P365 & 375 near Crystal IT Park, Vill. Pipliyarao, Ring Road, Indore, Madhya Pradesh. The built-up area of the proposed project is - 147058 m2. Cat. 8 (a) Building / Construction Project.

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Commercial Building "IT Park-III" [Total Plot Area-29105.0 sqm, Total Built-up Area-1,47,058 sqm] at (Khasra No. P144, P154, P155, P365 & 375) Village-Pipliyarao, Tehsil-Indore, District-Indore, (MP).
The case was presented by Shri Shbham Dubey Env. Consultant from M/s. Envisolve and PP Ms. Uma Sharma, Executive Engineer, M/s M.P. Industrial Development Corporation, District-Indore in the 664th meeting held on 28.07.2023. Wherein PP submitted that M/s MPIDC Ltd is proposing the construction of a commercial building "IT Park-III" at Khasra No. P144, P154, P155, P365 & 375 near Crystal IT Park, Vill. Pipliyarao, Ring Road, Indore, Madhya Pradesh. The built-up area of the proposed project is 147058 m2. As per EIA notification S.O.1533 issued on 14th Sep 2006 and its subsequent amendments the proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B (built-up area >/= 20000 m2 and < 150000 m2) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.

The Salient features of the project:-

- MPIDC (MP Industrial Development Corporation) is the Single Window Secretariat for Investment Promotion and Facilitation in the state since 2004.
- MPIDC Ltd is proposing the construction of a commercial building ***"IT Park-III"*** at Khasra No. P144, P154, P155, P365 & 375 near Crystal IT Park, Vill. Pipliyarao, Ring Road, Indore, Madhya Pradesh.
- The total built-up area of the project is 147058 m^2.
- The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B (built-up area >/= 20000 m^2 and < 150000 m^2) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.

Project Title	Construction of commercial building *"IT PARK-III"* By MPIDC
Total Plot Area	29105 m^2
Total Built up Area	Total Built up Area-147058 m2 FAR-104354 m2 Non FAR-42704 m2
Location of Project	Khasra No. P144, P154, P155, P365 & 375 near Crystal IT Park, Vill. Pipliyarao, Ring Road, Indore, Madhya Pradesh.
Geological Location	Latitude-22°41'2.64"N Longitude- 75°52'7.35"E
Building Configuration	Basement 1 + Basement 2 + Ground floor + 1st floor + 2nd floor + 3rd Floor + 4th floor + 5th floor + 6th floor + 7th floor + 8th floor + 9th floor +10th floor + 11th floor + 12th floor + 13th floor + 14th floor + 15th floor +16th floor + 17th floor + 18th floor + 19th floor
Estimated Project Cost	Total Cost-INR 386.98 Cr (Approx.)
Height of the Building	75 mtrs

S.No.	Particulars	Proposed Quantity/Area
1.	Permissible Ground coverage @ 30% Permissible Ground coverage @ 29%	8731.5 sq.mt. 8440.45 sq.mt.
2.	Permissible FAR @ 3.0 Permissible FAR @ 2.9	87315 sq.mt. 84404.5 sq.mt.
3.	No. of Floors	Basement 1 + Basement 2 + Ground floor + 1st floor + 2nd floor + 3rd Floor + 4th floor + 5th floor + 6th floor + 7th floor + 8th floor + 9th floor +10th floor + 11th floor + 12th floor + 13th floor + 14th floor + 15th

		floor +16th floor + 17th floor + 18th floor + 19th floor
4.	Activities in the complex	Offices, Data Centre, Hotel, Restaurant/Food Court
5.	Total No. of Restaurants seats	400 Nos
6.	Proposed Green cover area	2910.5 sq. mt. (10%)
7.	Parking	Basement Parking 1= 254 Basement Parking 2 = 233 Ground floor parking = 323

S.No.	Particulars	Proposed Quantity/Area
8.	Power Requirement	9000 KVA
9.	DG set details	6 No's DG set of 1500 KVA each
10.	Water Requirement	Total Water : 436.14 KLD Fresh Water : 234.29 KLD Flushing : 167.31 KLD Gardening : 14.55 KLD HVAC : 20 KLD
11	• STP • Rainwater Harvesting Quantity • Garbage Disposal • Service Block (Substation, DG Set, etc.)	• 450 KLD • 2 No of RWH Pits • Yes, as per norms • Yes, as per norms

After detail discussion and deliberation, committee asked PP to submit the following information/clarification for further consideration of the project:

1. Revised green area calculation with their location on lay-out map.
2. PP's commitments that :
   - Green area shall be increased upto 18.5 % of total project area and green cover area 25%.
   - Highest Griha rating i.e. "5" shall be obtaioned by the Proponent.
   - Street pole lightning shall based on solar power.
   - Provision for solar light up to 30% of the total requirement. All street light should be solar lighting.
   - Re-assessment of the EV charging stations.

3. Total vehicles load include existing and visitors numbers /floating population in terms of ECS.
4. Re-assess water requirement quantity/water balance chart etc..
5. Schematic diagram of STP with provision of treated sewage BOD as 3.0 mg/lit and incorporation of ultra filteratation unit.
6. Re-assessment of Rain Water Harvesting pits.
7. Revised plantation scheme and species as suggested by the committee during presentation.
8. Revised CER the activities shall includes distribution of school uniform in the Rajpura , Choral range Bai villages, distribution of mediacl equipments in the nearby PHC's , Veternary hospitals, distribution of Aganwadies etc.

The project proponent submitted clarification on 26.08.2023 on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the 664th meeting held on 28.07.2023.

The point wise query reply is as given below:

S.No	ADS	Reply
1.	Revised green area calculation with their location on lay-out map.	Revised green area planning has been increased to 18.58% from 10%. A detailed Green belt plan has been submitted.
2.	Commitments from PP to be submitted for the following- • Green area shall be increased upto 15 % of total project area. • Highest Griha rating i.e., "5" shall be obtained by the Proponent. • Solar power contribution shall be 30% of total power consumption. • Street pole lightning shall based on solar power. • Re-assessment of the EV charging stations.	Undertaking for the compliance of the points has been submitted.
3	Total vehicles load includes existing and visitors' numbers /floating population in terms of ECS	Total 949 ECS is proposed as parking & multilevel parking if required shall also be planned.
4	Re-assess water requirement quantity/water balance chart etc.	The water requirement quantity and water balance chart has been furnished.

5	Schematic diagram of STP with provision of treated sewage BOD as 3.0 mg/lit and incorporation of ultra filtration unit.	Flow chart of STP is attached, UF unit already included. (Typical flow chart of STP is attached it may be change as per vendor's design)
6	Re-assessment of Rain Water Harvesting pits	RWH Calculation is attached as annexed.
7	Revised plantation scheme and species as suggested by the committee during presentation.	Revised Plantation scheme is attached as annexed.
8	Revised CER details.	As annexed.

- MPIDC (MP Industrial Development Corporation) is the Single Window Secretariat for Investment Promotion and Facilitation in the state since 2004.
- MPIDC Ltd is proposing the construction of a commercial building "IT Park-III" at Khasra No. P144, P154, P155, P365 & 375 near Crystal IT Park, Vill. Pipliyarao, Ring Road, Indore, Madhya Pradesh.
- The total built-up area of the project is 147058 m2.
- The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B (built-up area >/= 20000 m2 and < 150000 m2) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.

<u>The total CO2 (t/annum) emission because of the project during construction has been summarized below:</u>

Emission Scenario	CO2 (t/Annum)
Scope 1	53856.66
Scope 2	5067.117
Scope 3	6668.54232
Total CO2	65592.319

After deliberations the PP was directed to submit following information along with the supporting documents:

- The lay-out map was not clear hence, PP was asked to submit revised coloured lay-out map clearly depicting the green areas in the project.
- At least 30 % of total power consumption shall be met through solar power installations, undertaking in this regard with proposal to be submitted.
- Total number of EV charging stations and their details to be submitted.
- Details of STP with designed parameters to be re-submitted.
- Revised CER the activities shall includes distribution of school uniform in the Rajpura , Choral range Bai villages, distribution of mediacl equipments in the nearby PHC's , Veternary hospitals, distribution of Aganwadies etc.

2. <u>Case No 9855/2023 Shri Jaswant Rathore S/o Harvansh Singh Rathore R/o Sadar Bazar Bangal No. 1, Sadar Bazar Cantt, Tehsil & District Sagar (MP) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.70 ha. (24605 Cum Per Year) (Khasra No. 40) Village-Jasoda, Tehsil-Shahgarh, District-Sagar (MP)</u>

प्रकरण समिति की पूर्व 643वीं बैठक दिनांक 05/05/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पौधारोपण के लिए खदान क्षेत्र के अंदर की स्वाईल प्रोफाईल का विवरण नही दर्शाया है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित पौधारोपण स्कीम को अनुमोदित नही की जाती है अतः स्वाईल प्रोफाईल के साथ पौधारोपण स्कीम पुनः प्रस्तुत करे तत्पश्चात् इस प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 12/10/23 को रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री जसवंत राठौर (ऑनलाईन) ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री स्वाति नामदेव मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो सहित हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–24,605 मी3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.18 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.29 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.06 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)

जसोदा ग्राम के माध्यमिक शाला हेतु चार कंप्यूटर दिए जायेंगे	80,000
एवं माध्यमिक शाला हेतु एक कलर प्रिंटर और चार ब्लैक – वाइट प्रिंटर दिया जायेंगे	40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2050 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे वृक्षारोपण	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
2	प्रथम वर्श में नदी के किनारे 1 से 6 पंक्ति	1–3 पंक्ति – खास, नागरमोथा, लेमन ग्रास, अवेग के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानिए घास (250) 4–5 पंक्ति – कटंग बाँस, (240) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम, अर्जुन एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थिानिय प्रजातियाँ (160)	650
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
4	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 1 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. <u>Case No 10473/2023</u> <u>Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (उपमहाप्रबंधक(संभागीय कार्यालय टीकमगढ़, MP. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj, Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar Tikamgarh (M.P.)</u> <u>Prior Environment Clearance for Uparara Chakra-2 Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 01), Village Uparara Chakra-2, Tehsil- Lidhora, district-Tikamgarh (M.P.)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री नागेन्द्र सिंह एवं श्री एस. जेड. अली, खनिज अधिकारी, जिला टीकमगढ़ एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.

लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 12/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (उपमहाप्रबंधक) संभागीय कार्यालय टीकमगढ़, Mp. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj, Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar Tikamgarh (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.000 hectare.
स्थल	Village Uparara Chakra-2, Tehsil- Lidhora, district-Tikamgarh (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सुखनई नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4612 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4612 दिनांक 21/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4612 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत उपरारा जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–11 दिनांक 02/10/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खदान घोषित होने से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–40 के सरल क्रमांक–6 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–12,000 घनमीटर उल्लेखित है,	

	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 12,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परीक्षणकिया गया प्रकरण के परीक्षणके दौरान पाया कि इस प्रकरण में खदान क्षेत्र के के पश्चिम दिशा में 142 मी. पर एक रपटा है हैं जिसकी लंबाई 132 मी. है। निर्धारित सेटबेक छोड़ने के पश्चात् कुल खनन योग्य क्षेत्र मात्र 1.5 हे. उपलब्ध होता है जिसमें डी.एस.आर. के अनुसार 15,000 घनमीटर रेत प्रतिवर्ष उपलब्ध रहती है। इस मात्रा का 60 प्रतिशत अर्थात मात्र 9,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत का खनन किया जा सकता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक– बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो सहित हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–9,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.97 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.38 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्य विद्यालय, मगरपुर के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी।	**20,000/-**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर तट से-1) ३ पंक्तियों में(	करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	400
	ग्राम गुडा नदी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।			

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. Case No 10472/2023 Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (उपमहाप्रबंधक(संभागीय कार्यालय टीकमगढ़, MP. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj, Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar Tikamgarh (M.P.) Prior Environment Clearance for Pathari 2 Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 119), Village pathari-2, Tehsil Lidhora, District Tikamgarh (M.P.)

परियोजना प्रस्तावक श्री नागेन्द्र सिंह एवं श्री एस. जेड. अली, खनिज अधिकारी, जिला टीकमगढ़ एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा. लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 12/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (उपमहाप्रबंधक) संभागीय कार्यालय टीकमगढ़, Mp. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj, Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar Tikamgarh (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	119 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.0 hectare.
स्थल	Village pathari-2, Tehsil Lidhora, District Tikamgarh (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान सपरार नदी में स्थित है।	

अनुसार स्थिति	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4590 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4590 दिनांक 21/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4590 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पठारी जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक 08/6/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–40 के सरल क्रमांक–2 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–12,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 12,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

खनन क्षेत्र के लगभग 68 मीटर पर पक्का मेजर रोड़ ब्रिज है रोड ब्रिज है जिसकी लंबाई 72 मी. है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि. मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

5. Case No 10475/2023 Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (उपमहाप्रबंधक(संभागीय कार्यालय टीकमगढ़, MP. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj, Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar Tikamgarh (M.P.) Prior Environment Clearance for Vijaypur Khaira Sand Mine in an area of 2.00 ha. (13200 cum per year) (Khasra No. 400), Village-Khera, Tehsil-Palera, District-Tikamgarh (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री नागेन्द्र सिंह एवं श्री एस. जेड. अली, खनिज अधिकारी, जिला टीकमगढ़ एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा. लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 12/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (उपमहाप्रबंधक) संभागीय कार्यालय टीकमगढ़, Mp. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj, Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar Tikamgarh (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	400 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	ग्राम KHERA तसहील Palera जिला Tikamgarh (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान उर नदी में स्थित है खनन क्षेत्र के लगभग 02 कि.मी पर पक्का मेजर रोड ब्रिज है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–13,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–13,200 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4606 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	

	कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4606 दिनांक 21/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4606 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खेरा जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–41 के सरल क्रमांक–18 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–13,200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 13,200 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–13,200 घनमीटर/वर्ष हेतु निम्न लिखित शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.37 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.93 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय उच्च विद्यालय, खजरी के पालक शिक्षक	20,000/-

संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी |	

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर तट से-1) ३ पंक्तियों में(	करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	300
2	ग्राम विजयपुर खेरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2100

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. Case No 10474/2023 Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (उपमहाप्रबंधक(संभागीय कार्यालय टीकमगढ़, MP. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj, Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar Tikamgarh (M.P.) Prior Environment Clearance for Khera Vijaypur Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (10800 cum per year) (Khasra No. 14), Village Khera Vijaypur, Tehsil Palera, District Tikamgarh. (M.P.)

परियोजना प्रस्तावक श्री नागेन्द्र सिंह एवं श्री जेड अली, खनिज अधिकारी, जिला टीकमगढ़ एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि.,

गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 12/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (उपमहाप्रबंधक) **संभागीय कार्यालय टीकमगढ़**, Mp. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj, Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar Tikamgarh (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	14 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.0 hectare.
स्थल	Village Khera Vijaypur, Tehsil Palera, District Tikamgarh. (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1/बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान उर नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–10,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–10,800 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4604 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4604 दिनांक 21/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4604 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत खेरा जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक	

पंचायत की अनापत्ति	08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–41 के सरल क्रमांक–17 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–10,800 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10,800 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–10,800 घनमीटर/वर्ष हेतु निम्न लिखित शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.18 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.76 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय हाई स्कूल, परा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी |	**15,000/-**

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर तट से-1) ३ पंक्तियों में(	करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	500
2	ग्राम खेरा विजयपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1900
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।		

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. Case No 10488/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bichhreta Sand Quarry in an area of 4.80 ha. (28800 cum per year) (Khasra No. 454/1, 413/1 min, 1/2), Village-Bichhareta, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा (ऑनलाईन), एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री स्वति नामेदव(ऑनलाईन) क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा दिनांक 12/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार **जिला – दतिया** के अनुमोदित डी.एस.आर के सरल क्रमांक **15** पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान **पहुज** नदी पर ग्राम **बिछरेटा** के निकट **4.80** हे. क्षेत्रफल पर 28,800 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका समिति द्वारा अवलोकन किया गया है।

प्रकरण का परीक्षण

- प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र 02 भागो में विभक्त है एवं खदान के बीच में एक रोड़ ब्रिज स्थित है ब्रिज के पश्चिमी खदान क्षेत्र से दूरी 193 मीटर एवं पूर्वी भाग से दूरी 190 मीटर है ।

- यह प्रकरण सिया की 604 वीं बैठक दिनांक 04/03/2020 में विचार में आया था पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के बिन्दु क्रमांक 02 पर डिया के पत्र क्रमांक क्यू/खनि/03–6/डिया/119/2018/151–11 दिनांक 27/01/2018 के द्वारा स्वीकृत हुआ था। सिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 6914/2020 पर विचार उपरांत पत्र दिनांक 09/03/2020 के माध्यम से कुल रेत उत्पादन मात्रा 36100 घन मीटर प्रतिवर्ष क्षमता हेतु मेसर्स के.पी.सिंह भदौरिया, जिला ग्वालियर को (उन्ही शर्तो एवं मात्रा 36100 घन मीटर) ई.सी ट्रांसफर की जा चुकी है।

दतिया जिले की डी.एस.आर. के पेज न. 14 के सरल क्रमांक 15 पर उक्त खदान क्षेत्र में रेत खदान की गहराई 01 मीटर दर्शायी है परन्तु माईनिंग प्लॉन के पेज न. 10 में खदान की गहराई 02 मीटर दशार्यी गई है अतः खनिज अधिकारी इस आशय की पुष्टि करे कि किस गहराई के आधार पर खनन हेतु प्रकरण पर विचार किया जावे।

8. <u>Case No 7956/2020 M/s Satguru Cements Private Limited, 601/1, Airen Heights, Scheme No. 54, PU - 3, Oppo. C - 21 Mall, AB Road, Indore, MP, Prior Environment Clearance for Limestone Deposit in an area of 14.424 ha. (50988 tonne per annum and Over burden/intercalated waste-9,933) (Khasra No. 41/1, 42, 55, 56, 57/1, 57/2, 58/2, 60, 83, 84, 86/1, 86/2, 87, 89, 91, 105, 106 & 107), Village - Khedi Balwari, Tehsil - Gandhwani, Dist. Dhar (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का दिनांक 12/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री विजय चाकुंडे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Rajesh Bansal, Director, M/s SATGURU CEMENTS PRIVATE LIMITED, PU4601/1, Airen Heights. Scheme No. 54, PU-3, Opposite C-21 Mall, A. B. Road, Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	41/1, 42, 55, 56, 57/1, 57/2, 58/2, 60, 83, 84, 86/1, 86/2, 87, 89, 91, 105, 106 & 107(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	14.424hectare.
स्थल	ग्राम Khedi Balwari तसहील Gandhwaniजिला Dhar (म.प्र.)	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
टॉर	समिति की पूर्व की 473वीं बैठक दिनांक 07/01/21 को उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन–50988 tonne per annum के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत आवेदन के पार्ट–बी 19.1 अनुसार खनन् कार्य रॉक ब्रेकर से प्रस्तावित है।	

नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, लाईम स्टोन मुख्य खनिज होने से डिया से संबधित नहीं है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Limestone–50,988 टीपीए एवं over burden/intercalated waste-9,933 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Limestone–50,988 टीपीए एवं over burden/intercalated waste-9,933 टीपीए है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1550 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1550 दिनांक 27/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1550 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खेड़ी बलवारी जिला धार के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08/10/10 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुवाई में रोजगार, वृक्षारोपण, पानी की व्यवस्था, बच्चों के लिये स्कूल बैग, फर्नीचर एवं वाऊंड्रीवाल का निर्माण एवं युवाओ को प्रशिक्षण इत्यादि आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रकरण के परीक्षण उपरांत समिति का मत है कि –

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति **समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–**ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. खदान क्षेत्र के कुल रकबे मे से कुछ भाग जनजाति समुदाय का है। उक्त जमीन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–स्वामी के साथ हुये सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि, जिलाध्यक्ष महोदय के स्तर पर इस आशय का परीक्षण भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतगर्त इस प्रकार के प्रकरणो में किये गये उपबंधो/प्रावधानो के अनुरूप किया जावे । खनन् कार्य से प्रति एकड प्रति वर्ष समस्त व्यय कम करने के पश्चात कुल शुद्ध आय कितनी होगी, एवं उसी के आधार पर लाभ हानि को देखते हुये भूमि धारक को देय राशि का निर्धारण किया जावे।

2. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Limestone–50,988 टीपीए।
3. क्षतिपूर्ति के संबंध में:–
   - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
   - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम, 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा हाइड्रोजियालॉजीकल स्टडी 06 माह के अंदर की जावेगी ।

4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 43.14 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 13.67 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 65.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
Oxygen Concentrator 4 no donated to Gandhwani Government Hospital for Covid Patient support.	3,50,000.00
Donation for construction of Oxygen manufacturing Plant At district Dhar to Collector dhar.	7,50,000.00
Bridge Constructed near Ghursal village road towards Ratitalai	10,77,962.00
Construction of School and panchayat Building, Kitchen, Toilets at village Karondiya, Teh Gandhwani District Dhar MP by our company.	40,50,000.00
Fencing and Gates Constructed around periphery of School and Panchayat Building	1,51,800.00
Renovation and painting of Hanuman Temple at Manawar	1,80,500.00

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 17400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	Along with barrier zone/ garland drain A- 1157m, B- 823m, C-1791m	Neem, White Kastar, Chirol,, Khamar, Seeds of Local speices and other local species etc. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	3000
2	Along with barrier zone/garland drain, Over Backfilled area and bench area	Neem, White Kastar, Babul, Chirol, Katang Bans, Khamar and other local species etc. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	6400
3	Bloc D including periphery	White Kastar, Neem, Chirol, Khamer with deep plying at 1 mtrs distance One plant of Sitafal will be planted in between two trees	5000
4	At submerged area (during dry season	Jamun Arjun and Kahwa	3000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			
		कुल	2400

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. <u>Case No 10478/2023 Shri Veer Gurjar, Lessee, R/o House No. 23, Ahinsa Vihar Colony, Ayodhya Bypass Road, District-Bhopal (MP)-462041, Prior Environment Clearance for Stone & M-sand Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-90000, M-Sand-60000 cum per year) (Khasra No. 102, 103P), Village-Jawaharkhera, Tehsil-Budni, District-Sehore (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री वीर गुर्जर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri VEER GURJAR, Lessee, R/o- House no. 23, Ahinsa Vihar Colony Ayodhya Bypass Road Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	102, 103 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Jawaharkheda, Tehsil Budhni, District- Sehore (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 1993–96 दिनांक 04/02/16 एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के पत्र क्रमांक 3121 दिनांक 02/11/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार सिंगल रो–ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सिहोर के पत्र क्रमांक 1521 दिनांक 23/05/16 के द्वारा पत्थर–30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल पत्थर–90,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड–60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–90,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड–60,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3379 दिनांक 09/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3379 दिनांक 09/08/23 अनुसार रातापानी अभ्यारण्य 4.32 कि. मी. की दूरी पर है, शेष अन्य 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3379 दिनांक 09/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जवाहरखेड़ा जिला सिहोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 15/08/14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव	

	पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–87. के सरल क्रमांक–3 पर दर्ज है ।

यह प्रकरण समिति के समक्ष री–एपराईजल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा प**त्र दिनांक** 23/05/16 **के माध्यम से** पर्यावरणीय स्वीकृति **जारी की गई थी।** समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री–एपराईजल हेतु परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

1. Land status/form- PII
2. Area & Location with Khasra no.
3. Current Ekal Praman Patra
4. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
5. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
6. OB Dump and waste management with facts and figures:
7. Top soil management with soil profile:
8. Detail of old Environment Clearance with validity period:
9. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
10. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
11. Water requirement (KLD):
12. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
13. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
14. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
15. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.

17. Carbon footprint.
18. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

तदानुसार ADS जारी किया जावें।

10. Case No -10483/2023 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Chaka River Sand Mine in an area of 2.023 ha. 36,414 cum per year) (Khasra No. 853/1317), Village-Chaka, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री हरिशंकर शुक्ला, उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. एवं साथ में श्री देवेन्द्र पटले, खजिन अधिकारी के द्वारा दिनांक 12/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार **जिला – शहड़ोल** के अनुमोदित डी.एस.आर के पेज क्रमांक 61, सरल क्रमांक **10** पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान **सोन** नदी पर ग्राम **चाका** के निकट **2.023** हे. क्षेत्रफल पर 36,414 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परीक्षणकिया गया प्रकरण के परीक्षणके दौरान पाया कि इस प्रकरण में पश्चिम दिशा में एक पक्का रोड़ ब्रिज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक– बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 36,414 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.13 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.28 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय, सबो के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	40,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5970 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में (	करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	230
2	ग्राम भाटीगवां खुर्द के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. <u>Case No -10490/2023 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Pondikala-1 River Sand Mine in an area of 3.90 ha. (70,200 cum per year) (Khasra No. 2055/2063), Village-Pondi Kalan, Tehsil-Jaisinghnagar, District-Shahdol (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री हरिशंकर शुक्ला, उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. एवं साथ में श्री देवेन्द्र पटले, खजिन अधिकारी के द्वारा दिनांक 12/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार **जिला – शहड़ोल** के अनुमोदित डी.एस.आर के पेज क्रमांक 61, सरल क्रमांक **19** पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान **सोन** नदी पर ग्राम **पोंड़ीकलां** के निकट **3.90** हे. क्षेत्रफल पर 70,200 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परीक्षणकिया गया प्रकरण के परीक्षणके दौरान पाया कि इस प्रकरण में पक्का रोड़ ब्रिज 1.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक– बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 70,200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.89 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.84 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए प्राथमिक विद्यालय अमरहा टोला, पोंडी कला के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4680 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(	करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	280
2	ग्राम पोंडी कला खुर्द के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4400

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. <u>Case No 10480/2023 Smt. Hate Singh, Lessee, R/o H.No. 45, Nazirabad, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP)-462420, Prior Environment Clearance for Khajuriya Kalan Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (7115 cum per year) (Khasra No. 212/1), Village-Khajuriya Kalan, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती हेत सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri HATE SINGH, Lessee, R/o- H.No.-45, Nazirabad, Tehsil- Berasia, District- Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	212/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Khajuriya Kalan , Tehsil- Berasiya , District- Bhopal (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 2149 दिनांक 04/11/15 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	

ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया भोपाल के पत्र दिनांक 30/05/16 के द्वारा पत्थर–7125 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–7115 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–7115 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2647 दिनांक 01/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2647 दिनांक 01/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2647 दिनांक 01/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खजूरिया कलां जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक 15/08/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–24 के सरल क्रमांक–26 पर दर्ज है ।

यह प्रकरण समिति के समक्ष री–एपराईजल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा पत्र **दिनांक 30/05/2016 के माध्यम से** पर्यावरणीय स्वीकृति **जारी की गई थी।** समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री–एपराईजल हेतु परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

1. Land status/form- PII
2. Area & Location with Khasra no.
3. Current Ekal Praman Patra

4. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
5. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
6. OB Dump and waste management with facts and figures:
7. Top soil management with soil profile:
8. Detail of old Environment Clearance with validity period:
9. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
10. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
11. Water requirement (KLD):
12. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
13. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
14. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
15. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
17. Carbon footprint.
18. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

तदानुसार **ADS** जारी किया जावें।

13. <u>Case No 10489/23 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Sunari Mohgaon Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (3900 cum per</u>

year) (Khasra No. 369), Village-Sunari Mohgaon, Tehsil-Chhindwara, District-Chhindwara (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री **Shri JITENDRA CHANDEL** श्री रविन्द्र परमार, खनिज अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स परिवेश इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	369 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village- Sunari Mohgaon, Tehsil- Chhindwara District- Chhindwara (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान पेंच नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–3900 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–3900 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण–पत्र, जिसमें जावक क्रमांक व दिनांक नहीं है, के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसे मिलाकर कुल रकबा 02.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण–पत्र, जिसमें जावक क्रमांक व दिनांक नहीं है, के 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण–पत्र, जिसमें जावक क्रमांक व दिनांक नहीं है, के अनुसार 500 मीटर की परिधि में	

	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भाजीपानी जिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–28 दिनांक 02/10/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–43 के सरल क्रमांक–18 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–3900 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3900 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि पूर्व दिशा में एक चेक डेम 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–3900 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 2.22 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.11 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.06 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
Books provided to Students Library of Govt Middle School, Sunari Mohgaon	6,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1100 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	River Bank Side	Planting of grass slips in 3 to5 rows with the gap of 1 to 1.5-feet gap in a row	300

2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	800

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. <u>Case No 10486/2023 Shri Narendra Bundela, Lessee, R/o Village-Ganpati Marg, Naugaon, District-Dhar (MP)-454001, Prior Environment Clearance for Khadankhurd Murrum Quarry in an area of 2.40 ha. (18000 cum per year) (Khasra No. 01, 166/2 Peki), Village-Khadan Khurd, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नरेन्द्र बुंदेला एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri NARENDRA BUNDELA, Lessee, R/o Village Ganpati Marg,Naugaon,Dhar District-Dhar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	166/2 PEKI (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.40 hectare.
स्थल	ग्राम Khadan Khurd तसहील Dhar जिला Dhar (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 953 दिनांक 26/04/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	खनिज मुरूम होने के कारण अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	

नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, खदान को दिनांक 26/04/23 को लीज स्वीकृत ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरूम–18,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मुरूम–18,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1348 दिनांक 18/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है,, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1348 दिनांक 18/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1348 दिनांक 18/05/23 अनुसार 60 मीटर पर नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मूसापुरा जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–5 दिनांक 30/12/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में 03 पेड़ है जिन्हे काटा नही जावेगा ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा– पक्का रोड़ 172 मीटर
	पश्चिम दिशा– पक्का रोड़ 70 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1348 दिनांक 18/05/23 अनुसार उक्त खदान अनुबंध/निष्पादन तथा पंजीयन की कार्यवाही की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् डीएसआर रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम–18,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.87 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.27 लाख प्रति वर्ष।

3. लीज क्षेत्र में लगे हुये समस्त वृक्षों का संरक्षण किया जावेगा तथा एक भी वृक्ष काटने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
गांव खादनखुर्द के शासकीय माध्यामिक विघालय में अधोसंरचना विकास हेतु वितिय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	1,30, 000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2880 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 750 मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल , जंगल जलेबी , सिस्सू आदि।	660
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड(620 मीटर) के दोनों ओर 2 लाइनो में 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	620
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1600
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. <u>Case No 10481/2023 Smt. Vanu Vasuniya W/o Shri Logasingh Vasuniya, Owner, R/o Ghoghadra Phailiya, Village-Mathana, District-Alirajpur (MP)-457882, Prior Environment Clearance for Mathna Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (7275 cum per year) (Khasra No. 1008), Village-Mathana, Tehsil-Bhavra, District-Alirajpur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती वानू (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा. लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri VANU VASUNIYA, Owner, W/o Logasingh Vasuniya Ghoghadra Phailiya Village Mathana District Alirajpur Madhya Pradesh Pin - 457882	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1008 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village Mathna, Tehsil Chandrashekhar Azad Nagar, District Alirajpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 1063–64 दिनांक 23/01/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 172 दिनांक 16/06/17 के द्वारा पत्थर–7275 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–7275 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–7275 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 353 दिनांक 10/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 353 दिनांक 10/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 353 दिनांक 10/03/23 अनुसार 500 मीटर की की दूरी पर 08–09 मकान की बसाहट, 400 मीटर की दूरी पर शैक्षणिक संस्थान, 500 मीटर के अंदर 04 हेंड पम्प एवं 04 बोरिंग जलीय निकाय स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत माथना जिला अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–7 दिनांक 14/04/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–34 के सरल क्रमांक–3 पर दर्ज है ।	

यह प्रकरण समिति के समक्ष री–एपराईजल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा प**त्र दिनांक 16/06/2017 के माध्यम से** पर्यावरणीय स्वीकृति **जारी की गई थी।** समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री–एपराईजल हेतु परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

1. Land status/form- PII
2. Area & Location with Khasra no.
3. Current Ekal Praman Patra
4. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
5. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
6. OB Dump and waste management with facts and figures:
7. Top soil management with soil profile:
8. Detail of old Environment Clearance with validity period:
9. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
10. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
11. Water requirement (KLD):
12. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
13. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
14. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
15. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
17. Carbon footprint.
18. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

तदानुसार ADS जारी किया जावें।

16. Case No. - 10477/2023 Shri Vikash Maraiya, Lessee, R/o Village-Mangrol, Tehsil-Sabalgarh, District-Morena (MP)-476239, Prior Environment Clearance for Kalamadh Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Gitti-20,000, Overburden-10, 204 cum per year) (Khasra No. - 898/2), Village-Kalamarh, Tehsil-Pohri, District-Shivpuri (MP).

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Vikash Maraiya, Lessee,** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Vikash Maraiya, Lessee, R/o Village-Mangrol, Tehsil-Sabalgarh, District-Morena (MP)-476239, Prior Environment Clearance for Kalamadh Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Gitti-20,000, Overburden-10, 204 cum per year) (Khasra No. - 898/2), Village-Kalamarh, Tehsil-Pohri, District-Shivpuri (MP) [438653].	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.–898/2,	एरिया– 2.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम– कालामाढ, तहसील – पोहरी, जिला– शिवपुरी (म.प्र.)	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 7013 दिनांक 08/06/2017.	
परियोजना की श्रेणी	बी–2.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	The mining will be done without blasting with the help of rock breaker.	
डिया द्वारा जारी ई. सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**लगू नही।**	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **गिट्टी–** 20,000 घन मी/वर्ष एंव **ओव्हर बर्डन–10,204 घन मी/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **शिवपुरी** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 318 दिनांक 03/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	

संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	खदानें स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। ● 500 मी. की परिधी में टपरिया वगैरह। मुरूम खदान खसरे मे है। वर्तमान में खदान संचालित नही है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **शिवपुरी** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 318 दिनांक 03/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **शिवपुरी** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/**नगर निगम की अनुमति**	कार्यालय, नगर पंचायत– बैराड़ जिला – **शिवपुरी** का पत्र क्र0. 382 दिनांक 03/08/2019 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर पश्चिम दिशा– आबादी – 142 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	खनिज अधिकारी, शिवपुरी द्वारा पत्र क्र0. 916 दिनांक 03/08/2023 द्वारा अवगत करायाा कि इस खदान का विवरण आवश्यक रूप से जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोड़ लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि क्रेशर खदान क्षेत्र के अंदर प्रस्तावित नही है अन्य स्थान पर (खसरा क्रमांक 882) पर प्रस्तावित है, क्रेशर भूमि के स्वामित्व के संबंध में खसरा पांचशाला प्रस्तुत किया एवं लेंड डायवर्जन के संबंध में अडरटेंकिग प्रस्तुतीकरण में शामिल किये गये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Gitti-20,000 मी^{3} प्रति वर्ष एवं Overburden-10, 204 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. जैसा कि प्रस्तावित किया गया है कि क्रेशर खदान क्षेत्र के अंदर स्थापित नहीं किया जा सकता।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.76 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.23 लाख प्रति वर्ष ।
4. खनन कार्य में ब्लास्टिंग पूर्णतः प्रतिबंधित होगी तथा प्रस्ताव अनुसार केवल रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जावेगा।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू–प्रवेश के 03 माह के भीतर पूर्ण किये जायेंगे :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
➢ ग्रामकालामढ़ ग्राममेंस्थितमाध्यमिक विद्यालय में 2 कम्प्यूटर 2 टेबल , वं 1 प्रिंटरप्रदानकियाजावेगा।	60,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरज़ोन एवंगैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः– कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, आमला, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोलआदि।	580
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः– नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपलआदि।	200
3	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहलआदि।	1520
4	ग्रामबैराडमेंस्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय के पासउपलब्ध क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–कदम्ब, करंज,नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर . पुत्रंजीवा, आदि।	50

5	ग्रामबैराडमेंस्थितनगरपरिसद के पासउपलब्ध क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–नीम, सिस्सू, करंज,पीपल, कदम्ब, चिरोल, पाकर आदि।	50
6	बैरियरज़ोन एवंगैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः– कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, आमला, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोलआदि।	580
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			
		कुल	2400

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. <u>Case No -10484/2023 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kolhuwa Sand Mine in an area of 4.046 ha. 52,680 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Kolhuwa, Tehsil-Jaitpur, District-Shahdol (MP) [439193]</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री हरिशंकर शुक्ला, उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. एवं साथ में श्री देवेन्द्र पटले, खजिन अधिकारी के द्वारा दिनांक 12/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार **जिला – शहड़ोल** के अनुमोदित डी.एस.आर के पेज न. 60, सरल क्रमांक **04** पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान **कोनुक** नदी पर ग्राम **कोल्हुआ** के निकट **4.046** हे. क्षेत्रफल पर 52,680 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परीक्षणकिया गया प्रकरण के परीक्षणके दौरान पाया कि इस प्रकरण में खदान के बीच में पक्का रोड़ ब्रिज स्थित है जो मेजर ब्रिज है **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के**

पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है। **अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।**

खनिज अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 704 दिनांक 10/10/2023 कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला शहडोल द्वारा कार्यपालन अधिकारी लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग शहडोल को उक्त ब्रिज के विषय में यह अनुरोध किया गया है कि कुनुक नदी पर निर्मित ब्रिज मेजर है अथवा माईनर एवं उपरोक्त पुल से 500 मीटर की दूरी छोड कर रेत खदान स्वीकृत किये जाने पर कोई आपत्ति तो नही है। **सक्षम प्राधिकारी/विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।**

18. <u>Case No -10485/2023 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Lukampur Sand Mine in an area of 3.641 ha. 65,538 cum per year) (Khasra No. 01, 158, 159), Village-Lukampur, Tehsil-Jaitpur, District-Shahdol (MP) [439234].</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री हरिशंकर शुक्ला, उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. एवं साथ में श्री देवेन्द्र पटले, खजिन अधिकारी के द्वारा दिनांक 12/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार **जिला – शहड़ोल** के अनुमोदित डी.एस.आर के पेज न. 60 सरल क्रमांक **05** पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान **कुनुक** नदी पर ग्राम **लुकामपुर** के निकट **3.641** हे. क्षेत्रफल पर 65,538 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।
समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परीक्षणकिया गया प्रकरण के परीक्षणके दौरान पाया कि इस प्रकरण में पक्का रोड़ ब्रिज 1052 मीटर की दूरी पर स्थित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक– बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 65,538 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.07 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.76 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय, खोदरी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	1,00,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4370 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1से 3 पंक्तियों में(	करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	1000
2	ग्राम लुकामपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3370

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No. - 10482/2023 Shri Shubham, Lessee, R/o Village-Ratikheda, Tehsil & District-Ashok Nagar (MP)-473331, Prior Environment Clearance for Khejra Nai Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (7, 275 cum per year) (Khasra No.- 41/1), Village- Khejra Nai, Tehsil - Shadhora, District-Ashok Nagar (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Shubham, Lessee,** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Shubham, Lessee, R/o Village-Ratikheda, Tehsil & District-Ashok Nagar (MP)-473331, Prior Environment Clearance for Khejra Nai Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (7, 275 cum per year) (Khasra No.- 41/1), Village- Khejra Nai, Tehsil - Shadhora, District-Ashok Nagar (MP) [439397].	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.–41/1,	एरिया– 2.00 ha., **शासकीय भूमि**
परियोजना स्थल	ग्राम– खेरजा नाई, तहसील – साढौरा, जिला– अशोकनगर (म.प्र.)	
सैंधातिक सहमति	लीज हस्तांतरण पत्र क्र0. 617 दिनांक 06/11/2019.	
परियोजना की श्रेणी	बी–2.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Deep hole Blasting will be adopted (as per approved Mine Chapter 3.1.2).	
डिया द्वारा जारी ई. सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**श्री विशाल जैन को पत्र क्र0. 117 दिनांक 26/09/2018 द्वारा स्टोन क्रशिंग क्षमता – 7,980 घनमीटर/ वर्ष हेतु जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक से पूर्व मे प्रदत्त ई.सी. के परिपेक्ष्य में पालन प्रतिवेदन लिया जाना प्रस्तावित है।**	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **गिट्टी–** 7, 275 घन मी/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अशोकनगर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 606 दिनांक 02/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अशोकनगर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 606 दिनांक 02/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर	

	में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अशोकनगर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 606 दिनांक 02/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/**नगर निगम की अनुमति**	कार्यालय, नगर पंचायत– अखाई कृष्णा जिला – **अशोकनगर** का पत्र क्र0. 06 दिनांक 05/10/2015 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–**26** के सरल क्रमांक – **24** पर दर्ज है।

यह प्रकरण समिति के समक्ष री–एपराईजल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा प**त्र दिनांक 26/09/2018 के माध्यम से** पर्यावरणीय स्वीकृति **जारी की गई थी।** समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री–एपराईजल हेतु परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

1. Land status/form- PII
2. Area & Location with Khasra no.
3. Current Ekal Praman Patra
4. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
5. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
6. OB Dump and waste management with facts and figures:
7. Top soil management with soil profile:
8. Detail of old Environment Clearance with validity period:
9. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
10. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
11. Water requirement (KLD):
12. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
13. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
14. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
15. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)

- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER

16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
17. Carbon footprint.
18. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

तदानुसार ADS जारी किया जावें।

20. Case No 10479/2023 Smt. Madhu Panse, Lessee, R/o Mangona Kala, Tehsil-Multai, District-Betul (MP)-462003, Prior Environment Clearance for Narkhed Stone Quarry in an area of 1.00 ha. Stone-10000 cum per year) (Khasra No. 746/1/2, 746/2), Village-Narkhed, Tehsil-Multai, District-Betul (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मधु पंसे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri MADHU PANSE, Lessee, R/o- Mangona Kala, Tehsil- Multai, District- Betul (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	746/1/2 & 746/2 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड प्रस्तावित खनन् स्थल के भू–स्वामी परियोजना प्रस्तावक स्वयं)	1.00 hectare
स्थल	Village Narkhed, Tehsil-Prabhat Pattan, District- Betul (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 926 दिनांक 25/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, खदान को दिनांक 25/05/23 को लीज स्वीकृत ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया	

	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–10,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1351 दिनांक 08/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1351 दिनांक 08/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1351 दिनांक 08/08/23 अनुसार ग्रामीण कच्चा रास्ता 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नरखेड़ा जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 25/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed within lease area - 02 Tree Felling - No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा– लगभग 100 मीटर पर तालाब है ।
	पश्चिम दिशा– कच्चा रोड़ 10 मीटर, 40 मीटर का सेट बेक प्रस्तावित है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल ने पत्र क्रमांक 1351 दिनांक 08/08/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त नवीन उत्खनिपट्टा को संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर पश्चिम दिशा– लगभग 100 मीटर पर तालाब है वह निजी भूमि पर है जिसके संबंध में भू–स्वामी एवं सरपंच द्वारा अनापत्ति जारी की गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक– ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–10,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.76 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.23 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
➢ ग्रामकालामढ़ ग्राममेंस्थितमाध्यमिक विद्यालय में 2 कम्प्यूटर 2 टेबल , वं 1 प्रिंटरप्रदानकियाजावेगा।	60,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरज़ोन एवंगैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः– कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, आमला, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोलआदि।	580
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः– नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपलआदि।	200
3	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहलआदि।	1520
4	ग्रामबैराडमेंस्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय के पासउपलब्ध क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–कदम्ब, करंज,नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर . पुत्रंजीवा, आदि।	50
5	ग्रामबैराडमेंस्थितनगरपरिसद के पासउपलब्ध क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–नीम, सिस्सू, करंज,पीपल, कदम्ब, चिरोल, पाकर. आदि।	50
6	बैरियरज़ोन एवंगैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः– कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम,	580

		आमला, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोलआदि।	
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			
		कुल	2400

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. <u>Case No 10476/2023 Shri Ramnik Patel, Lease Owner, 18, Power House Road, Alot, District-Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for Kamalkheda Stone Mine in an area of 4.00 ha. (19000 cum per year) (Khasra No. 533), Village-Kamalkhera, Tehsil-Petlawad, District-Jhabua (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामनिक पटेल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RAMNIK PATEL, ease owner, 18 Power House Road, Alot, Ratlam, (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	533 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Kamalkheda, Tehsil Petlawad, District Jhabua (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 1406 दिनांक 13/12/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार सिंगल रो ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया झाबुआ के पत्र क्रमांक 98 दिनांक 22/11/17 के द्वारा पत्थर–19,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–19,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–19,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 302 दिनांक 23/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 302 दिनांक 23/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 302 दिनांक 23/03/23 अनुसार कच्चा रास्ता लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत धतुरिया जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–5 दिनांक 27/01/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–19 के सरल क्रमांक–39 पर दर्ज है ।

यह प्रकरण समिति के समक्ष री–एपराईजल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा प**त्र दिनांक 22/11/2017 के माध्यम से** पर्यावरणीय स्वीकृति **जारी की गई थी।** समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री–एपराईजल हेतु परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

1. Land status/form- PII
2. Area & Location with Khasra no.
3. Current Ekal Praman Patra
4. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
5. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
6. OB Dump and waste management with facts and figures:
7. Top soil management with soil profile:
8. Detail of old Environment Clearance with validity period:
9. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..

10. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
11. Water requirement (KLD):
12. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
13. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
14. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
15. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
17. Carbon footprint.
18. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

तदानुसार ADS जारी किया जावें।

22. <u>Case No 10316/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Gajanpur-4 Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (36,000 cum per year) (Khasra No. 55), Village- Gajanpur-4, Tehsil- Khategaon, District- Dewas (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । बैठक मे परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थीः–

- समिति ने परिक्षण के दौरान यह पाया कि यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जिसका भाग पानी डूबा हुआ है एवं 619 मी. पर पूर्व दिशा में पक्का रोड ब्रिज है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पृष्ठ क्रमांक 22 के पैरा–h अनुसार मेजर रोड ब्रिज तथा हाईवें के विषय में **दोनो** तरफ कितनी दूरी तक सेंड माईनिग नहीं की जा सकती

के संबंध में विकल्प दिये गये है ***"नदी के दोनो तरफ 1 कि.मी. ब्रिज की चौडाई के अनुसार तथा न्यूनतम दूरी का मापदंड 250 मी. अप स्टीम एवं 500 मी. डाउनस्ट्रीम में रखी गई है"।***

- समिति द्वारा सुक्ष्मता से परीक्षण किया गया, अतः उत्खनन् की स्वीकृति के लिये यह देखना होगा कि विगत 03 वर्षो में कितना रेत खनन् किया है, उसकी मात्रा की पुष्टि जिले खनिज अधिकारी से प्राप्त कि जावें। इस प्रकरण में रोड ब्रिज 01 कि.मी से कम दूरी पर है। अतः खदान प्रचलन की निरंतरता तथा रोड ब्रिज की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त किया जावें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जो समिति के समक्ष समीक्षा हेतु आज दिनांक 12/10/23 को प्रस्तुत किया। जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

अ. प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने यह पाया कि इस खदान को पूर्व में सिया द्वारा पत्र क्रमांक 5104 दिनांक 12.03.2020 (**सिया के प्रकरण क्रमांक 6930/2020**) के माध्यम से 60,000 घनमीटर उत्पादन क्षमता हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई थी।

ब. उल्लेखनीय है कि लीज क्षेत्र से पूर्व दिशा में लगभग 612 मीटर दूर स्थित रोड ब्रिज की सुरक्षा की दृष्टि से कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग – उज्जैन का मत चाहा गया था। इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 दिनांक 03/10/2023 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग का पत्र क्रमांक 2701 दिनांक 10/10/2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग – उज्जैन ने मत दिया है, कि नर्मदा नदी पर निर्मित नेमावर हाण्डिया ब्रिज की सुरक्षा की दृष्टि से खदान के संचालन हेतु अप–स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी रखी जाना आवश्यक है। तदानुसार 500 मी. की दूरी छोड़ने के बाद भी प्रस्तावित 2 हे. क्षेत्र खनन योग्य है। डी.एस.आर के अनुसार 36,000 घन मीटर की उपलब्धता बताई गई है ।

स. विगत 03 वर्षो में रेत खनन निम्नानुसार बताया गया है वर्ष 2020–21 मे 30171 घनमीटर, वर्ष 2021–22 मे 29999.33 घनमीटर एंव वर्ष 2022–23 मे 35999 घनमीटर।

द. गूगल इमेज से अवलोकित होता है, कि लीज क्षेत्र के एक भाग में पर्याप्त मात्रा मे रेत है।

ई. उल्लेखनीय है, कि सिया के पत्र क्र0. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (गजनपुर – 4) के संबंध मे शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र से 600 मी. दूर एन.एच. रोड ब्रिज स्थित है, इस कारण से रेत खनन संभव नही है तथा नदी को हानि पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग(सेतु निर्माण संभाग–उज्जैन के पत्र क्रमांक 2701 दिनांक 10/10/2023 में प्रस्तुत किये गये मत अनुसार नर्मदा नदी पर निर्मित नेमावर हाण्डिया ब्रिज

की सुरक्षा की दृष्टि से खदान के संचालन हेतु अप–स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी रखी जाना आवश्यक है।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओ एवं पर्यावरणीय पहलुओ को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित उत्पादन मात्रा 36,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत खनन किया जा सकता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.57 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, गाजनपुर के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी |	40,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति – खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	1554
		5-4पंक्ति –कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(	314
		6पंक्ति –करंज, जामुन, कहवा, एगेव, करौंदा, सीताफल, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ) दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	132

	ग्राम गाजनपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, करंज, अर्जुन, मुनगा, एगेव, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, जामुन, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

23. <u>Case No 10323/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Gajanpur-5 Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (36000 cum per year) (Khasra No. 55), Village-Gajanpur-5, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । बैठक मे परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थीः–

समिति ने परिक्षरण के दौरान यह पाया कि यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जिसका भाग पानी डूबा हुआ है एवं 750 मी. पर पूर्व दिशा में पक्का रोड **ब्रिज** है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पृष्ठ क्रमांक 22 के पैरा–h अनुसार मेजर रोड **ब्रिज** तथा हाईवें के विषय में **दोनो** तरफ कितनी दूरी तक सेंड माईन नहीं रखी जा सकती के संबंध में विकल्प दिये गये है ***"नदी के दोनो तरफ 1 कि.मी., ब्रिज की चौडाई के अनुसार तथा न्यूनतम दूरी का मापदंड 250 मी. अप स्ट्रीम एवं 500 मी. डाउनस्ट्रीम में रखी गई है"।***

समिति द्वारा सुक्षमता से परीक्षणकिया गया, अतः उत्खनन् की स्वीकृति के लिये यह देखना होगा कि विगत 03 वर्षो में कितना रेत खनन् किया है, उसकी मात्रा की पुष्टि जिले खनिज अधिकारी से प्राप्त

कि जावें। इस प्रकरण में रोड ***ब्रज*** 01 कि.मी से कम दूरी पर है। अतः खदान प्रचलन की निरंतरता तथा रोड ब्रिज की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त किया जावें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है,जो समिति की आज दिनांक 12/10/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि लीज क्षेत्र से पूर्व दिशा में लगभग 750 मीटर दूर स्थित रोड ब्रिज की सुरक्षा की दृष्टि से कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग का मत चाहा गया था। इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 दिनांक 03/10/2023 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग का पत्र क्रमांक 2701 दिनांक 10/10/2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ने मत दिया है कि नर्मदा नदी पर निर्मित नेमावर हाण्डिया ब्रिज की सुरक्षा की दृष्टि से खदान के संचालन हेतु अप–स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी रखी जाना आवश्यक है।

- सिया के पत्र क्र0. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (गजनपुर – 5) के संबंध मे शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र से 750 मी. दूर एन.एच. रोड ब्रिज स्थित है, इस कारण से रेत खनन संभव नही है तथा नदी को हानि पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग(सेतु निर्माण संभाग–उज्जैन के पत्र क्रमांक 2701 दिनांक 10/10/2023 में प्रस्तुत किये गये मत अनुसार नर्मदा नदी पर निर्मित नेमावर हाण्डिया ब्रिज की सुरक्षा की दृष्टि से खदान के संचालन हेतु अप–स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी रखी जाना आवश्यक है।
- उल्लेखनीय है, विगत 03 वर्षो में रेत खनन निम्नानुसार बताया गया है वर्ष 2020–21 मे 21,235 घनमीटर, वर्ष 2021–22 मे 11,399.93 घनमीटर एंव वर्ष 2022–23 मे 11,400 घनमीटर।
- पूर्व में सिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 3010/2015 दिनांक 27/04/2016 के माध्यम से 11400 घनमीटर उत्पादन क्षमता हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- गूगल इमेज मई 2021 का अवलोकन किया गया, जिसमें उपलब्ध क्षेत्र 0.3 हे. पाया गया। डी. एस.आर. के अनुसार उपलब्ध मात्रा 9,000 घनमीटर पाई जाती है।

पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (मात्रा 11400 घनमीटर), जल भराव क्षेत्र तथा ब्रिज की दूरी को ध्यान में रखते हुए मात्र 9,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु निम्नानुसार पर्यावरण स्वीकृति दिया जाना अनुसंशित है।

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.57 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, गाजनपुर के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी |	**40,000**

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति – खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	1554
		5-4पंक्ति –कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(	314
		6पंक्ति –करंज, जामुन, कहवा, एगेव, करौंदा, सीताफल, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ) दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	132
	ग्राम गाजनपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, करंज, अर्जुन, मुनगा, एगेव, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, जामुन, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

24. <u>Case No 10293/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Jaleriya Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (7088 cum per year) (Khasra No. 1, 39, 40), Village-Jalerya, Tehsil-Sonkatch, District-Dewas (MP).</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । बैठक मे परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थीः–

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर एकल प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान् नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है, जबकि प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न गूगल ईमेज एवं खनिज अधिकारी के कथन के अनुसार प्रस्तावित खदान काली सिंध नदी पर प्रस्तावित है। अतः इस संबंध में समिति ने परियोजना प्रस्तावक ने निम्न बिन्दुओ पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

- प्रस्तावित खदान किस नदी काली सिंध /नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है ?
- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षो के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षो की रेत की उपलब्धता तथा मई–जून की थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है,जो समिति की आज दिनांक 12/10/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- पत्र में खनिज अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रस्तावित खदान कालीसिंध नदी तहसील सोनकच्छ के अंतर्गत प्रस्तावित है। खनिज योजना तथा पूर्व में जारी डिया से पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार 7088 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रस्तावित की गई है एवं मई–जून की स्थिति में खनिज रेत उत्पादन व सम्भावित मांग का आंकलन निर्धारण पत्र संलग्न किया है।
- डिया का केस नं. 211/2018 दिनांक 14/08/2018 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति मात्रा 7088 घनमीटर प्रतिवर्ष जारी की गई।
- सिया के पत्र क्र0. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (जलेरिया रेत खदान) के संबंध मे शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र 12 महीने नदी मे सबमर्ज रहती है। अतः इस खदान से रेत खनन का कार्य संभव नही है व नदी को हानि हो सकती है परन्तु गूगल टाईम लाईन इमेज (माह– फरवरी 2019, अप्रेल 2021, मई 2021, अप्रेल 2022) मे नदी सुखी पाई गई। अतः शिकायत सही प्रतीत नही होती है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 7088 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु निम्न शर्तो के साथ पर्यावरण स्वीकृति दिया जाना अनुसंशित हैः–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.97 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.42 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.11 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, जलेरिया के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी |	**11,000**

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति – खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	2499

		5-4पंक्ति –कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(	506
		6पंक्ति –करंज, जामुन, कहवा, एगेव, करौंदा, सीताफल, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ) दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	211
	ग्राम जलेरिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, करंज, अर्जुन, मुनगा, एगेव, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, जामुन, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1584

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

25. <u>Case No 10295/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Melpipliya Sand Mine in an area of 4.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 105), Village- Melpipalya, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । बैठक मे परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थीः–

समिति ने परियोजना प्रस्तावक ने निम्न बिन्दुओ पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षो के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षो की रेत की उपलब्धता तथा मई–जून की स्थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है,जो समिति की आज दिनांक 12/10/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- पत्र में खनिज अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया कि डी.एस.आर में विगत 3 वर्षो में रेत खनन की जानकारी के संबंध में लेख है कि खनन योजना के अनुसार 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रस्तावित की गई है, जो उनके अनुसार मई–जून की स्थिति में पानी कम होने पर उत्पादन योग्य है।
- मई–जून की स्थिति में खनिज रेत उत्पादन व सम्भावित मांग का आंकलन के संबंध में निर्धारण पत्रक संलग्न किया है, जिसके अनुसार विगत 3 वर्षो में यहां से कोई खनन की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी।
- गूगल इमेज के अवलोकन पर खनन क्षेत्र जलमग्न पाया गया अतः इस खदान से रेत खनन संभव नही है।
- सिया के पत्र क्र0. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (मेलपिपल्या) के संबंध मे शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र 12 महीने नदी मे सबमर्ज रहती है। अतः इस खदान से रेत खनन का कार्य संभव नही है व नदी को हानि हो सकती है परन्तु गूगल टाईम लाईन इमेज मे लीज क्षेत्र जलमग्न पाया गया अतः शिकायत सही प्रतित होती है।

अनुशंसा– नदी सूखी होने के संबंध में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार रेत उपलब्धता के संबंध में विश्वस्नीय प्रमाणों के अभाव में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता है। अतः जिला खनिज अधिकारी रेत उपलब्धता के विषय में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ तकनीकी रिपोर्ट सेक को प्रस्तुत करने पर प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा ।

26. <u>Case No 10294/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Pipalneriya Sand Mine in an area of 5.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 221), Village-Pipalneriya, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । बैठक मे परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थीः–
समिति ने परियोजना प्रस्तावक ने निम्न बिन्दुओ पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षो के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षो की रेत की उपलब्धता तथा मई–जून की स्थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है,जो समिति की आज दिनांक 12/10/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- पत्र में खनिज अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया कि विगत 3 वर्षो में रेत खनन की जानकारी मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम , भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में मात्रा 40,217 घनमीटर, वर्ष 2021–22 में मात्रा 59782.99 घनमीटर एवं वर्ष 2022–23 में मात्रा 50,000 घनमीटर है। मई–जून की स्थिति में खनिज रेत उत्पादन व सम्भावित मांग का आंकलन के संबंध में निर्धारण पत्रक संलग्न है। सिया का प्रकरण क्र. 7693/2020 दिनांक 22/10/2020 से पूर्व पर्यावरण अनुमति मात्रा प्रतिवर्ष 50,000 घनमीटर रेत की जारी की गई थी।
- सिया के पत्र क्र0. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (Pipalneriya) के संबंध मे शिकायत की गई है, कि डी.एस.आर. रिपोर्ट में आंक्षास–देंशांश की जानकारी त्रुटि पूर्ण है ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत आंक्षास–देंशांश की जानकारी में त्रुटि पाई। अतः यह निर्णय लिया कि खदान क्षेत्र के वास्तविक अंक्षास–देंशांश ज्ञात कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन एवं अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत करें एवं उसी क्रम में डी.एस.आर. में भी आवश्यक संशोधन कर डी.एस.आर. को जिला समिति से अनुमोदन पश्चात् प्रस्तुत किया जावे ।

27. <u>Case No 10317/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for</u>

Surjana Sand Deposit in an area of 3.50 ha. (2350 cum per year) (Khasra No. 1 & 279) , Village- Surjana, Tehsil- Sonkatch, District-Dewas (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । बैठक मे परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थीः–
प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में दिखाई गई प्रश्नाधीन खदान कि के.एम.एल ईमेज गजनपुर–4 की के.एम.एल ईमेज के उपर ओवरलेप हो रही हैं। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक ने निम्न बिन्दुओ पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

- खदान की खनिज अधिकारी से प्रमाणित गूगल ईमेज प्रस्तुत करें।
- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षो के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षो की रेत की उपलब्धता तथा मई–जून की स्थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त संबंध में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित गूगल ईमेज की प्रति संलग्न की है एवं अवगत कराया कि खनन योजना के अनुसार 2350 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रस्तावित की गई है, जो मई–जून की स्थिति खनिज रेत के उत्पादन व सम्भावित मांग का आंकलन निर्धारण पत्रक संलग्न है। डिया का केस नं. 212/2018 दिनांक 14/08/2018 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति मात्रा 2350 घनमीटर प्रतिवर्ष जारी की गई। समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि गूगल इमेज के आधार पर 106 मीटर लम्बी जल संरचना है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 **के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 1.0 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है। परन्तु समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया का केस नं. 212/2018 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति मात्रा 2350 घनमीटर प्रतिवर्ष जारी की गई थी किंतु विगत 3 वर्षो में उत्पादन निरंक है।

- सिया के पत्र क्र0. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (सुरजाना) के संबंध मे शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र 12 महीने नदी मे सबमर्ज रहती है। अतः इस खदान से रेत खनन का कार्य संभव नही है व नदी को हानि हो सकती है।
- गूगल टाईम लाईन इमेज के अवलोकन से लीज क्षेत्र के कई हिस्सों में रेत उपलब्ध रहती है अतः शिकायत सही प्रतीत नहीं होती है।

परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

28. Case No 10324/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Bhanjakhedi-1 Sand Deposit in an area of 0.82 ha. (8200 cum per year) (Khasra No. 76), Village-Bhanjakhedi-1, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । बैठक मे परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थीः–

समिति ने परियोजना प्रस्तावक ने निम्न बिन्दुओ पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षो के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षो की रेत की उपलब्धता तथा मई–जून की स्थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है,जो समिति की आज दिनांक 12/10/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

- इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त संबंध में खनिज अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि विगत 3 वर्षो में रेत खनन म.प्र. राज्य खनिज निगम, भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में मात्रा 0.1 घनमीटर, वर्ष 2021–22 में मात्रा 16400 घनमीटर एवं वर्ष 2022–23 में मात्रा 0 घनमीटर है। मई–जून की स्थिति में खनिज रेत उत्पादन का आंकलन निर्धारण पत्रक संलग्न है।

- योजना के अनुसार 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रस्तावित की गई है, जो मई–जून की स्थिति खनिज रेत के उत्पादन व सम्भावित मांग का आंकलन निर्धारण पत्रक संलग्न है। डिया का केस नं. 7691/2020 दिनांक 22/10/2020 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति मात्रा 8200 घनमीटर प्रतिवर्ष जारी की गई।

- गूगल इमेज अवलोकन पर खनन क्षेत्र जलमग्न पाया गया है अतः रेत खनन संभव नही है ।

- सिया के पत्र क्र0. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (भांजाखेडी–1) के संबंध मे शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र 12 महीने नदी मे सबमर्ज रहती है। अतः इस खदान से रेत खनन का कार्य संभव नही है व नदी को हानि हो सकती है परन्तु गूगल टाईम लाईन इमेज मे लीज क्षेत्र जलमग्न पाया गया। अतः शिकायत सही प्रतीत होती है।

अतः स्पष्ट है कि इस बात का निर्धारण किया जाना कि मई–जून में खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध होगा ऐसी स्थिति में अनुशंसा नहीं की जा सकती। अतः जिला खनिज अधिकारी रेत उपलब्धता के विषय में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ तकनीकी रिपोर्ट सेक को प्रस्तुत करने पर प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा ।

29. Case No 10322/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Bhanjakhedi-2 Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (25000 cum per year) (Khasra No. 76), Village-Bhanjakhedi-2, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । बैठक मे परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थीः–

- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षो के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षो की रेत की उपलब्धता तथा मई–जून की स्थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है,जो समिति की आज दिनांक 12/10/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- उपरोक्त संबंध में खनिज अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि खनन योजना के अनुसार 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रस्तावित की गई है, जो मई–जून की स्थिति खनिज रेत के उत्पादन व सम्भावित मांग का आंकलन निर्धारण पत्रक संलग्न है। डिया का केस नं. 7691/2020 दिनांक 22/10/2020 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति मात्रा 8200 घनमीटर प्रतिवर्ष जारी की गई ।
- सिया के पत्र क्र0. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (भांजाखेडी–2) के संबंध मे शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र 12 महीने नदी मे सबमर्ज रहती है। अतः इस खदान से रेत खनन का कार्य संभव नही है व नदी को हानि हो सकती है ।
- विगत 03 वर्षो में उत्पादन निरंक दर्शाया गया है । गूगल इमेज के आधार पर लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र जल मग्न देखा गया । अतः 4.0 हे. में से मात्र 1.81 हे. ही खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध है । अतः प्रस्तावित खनन् मात्रा 25,000 घनमीटर / वर्ष का उत्खनन् किया जा सकता है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–25,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.06 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.55 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए प्राथमिक विद्यालय, भांजाखेड़ी के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी।	30,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति – खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	2499
		5-4पंक्ति –कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(	506
		6पंक्ति –करंज, जामुन, कहवा, एगेव, करौंदा, सीताफल, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानी प्रजातियाँ) दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा	211
	ग्राम भांजाखेड़ी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, करंज, अर्जुन, मुनगा, एगेव, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, जामुन, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1584

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमाति से चर्चा के अन्य बिन्दु

केस नं. 10317/2023 के संबंध में शुद्धि पत्र।

परियोजना प्रस्तावक ने बैठक के दौरान सूचित किया है कि उनका प्रकरण जो कि एसईएसी की 677वीं बैठक दिनांक 12/09/2023 को प्रस्तुत हुआ था, प्रकरण **(Case No 10317/2023)** के हैडिंग में त्रुटिवश खदान के विवरण में **Gajanpur-4** टंकित हो गया है, जबकि खदान के सही विवरण में **Surjana** टंकित किया जाना था। उपरोक्त के अनुसार परियोजना प्रस्तावक ने त्रुटि सुधार करने का अनुरोध किया। समिति ने प्रकरण का अवलोकन किया और पाया कि लिपिकीय त्रुटिवश गलत टंकित हो गया है। अतः समिति अपनी 677वीं बैठक दिनांक 12/09/2023 में खदान का विवरण निम्नानुसार पढ़े जाने की अनुशंसा करती है, शेष विवरण यथावत रहेंगी । अतः –

Case No 10317/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Gajanpur-4 Sand Deposit in an area of 3.50 ha. (2350 cum per year) (Khasra No. 1 & 279), Village- Surjana, Tehsil- Sonkatch, District-Dewas (MP)

को निम्नानुसार पढ़ा जावें

Case No 10317/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Surjana Sand Deposit in an area of 3.50 ha. (2350 cum per year) (Khasra No. 1 & 279) , Village- Surjana, Tehsil- Sonkatch, District-Dewas (MP).

रेत खनन् के प्रकरणो में ईसी की पूर्व एवं वर्तमान शर्तो के क्रियान्वयन एवं पालन पर अतिरिक्त एजेण्डा के रूप में

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे रेत खनन् प्रकरणों में जिनमें राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित की गई है, उन सभी प्रकरणों में निम्नानुसार विशिष्ट शर्त अधिरोपित की जायेः–

- विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
- पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी. सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

- As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.

- **In case of the sand mine cases, the committee is of the opinion that:**
  The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District Mining Office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.

  1. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
  2. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
  3. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
  4. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Monitoring Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
  5. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
  6. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
  7. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
  8. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

(चंद्र मोहन ठाकुर)	(डॉ. पी.सी. दुबे)
सदस्य सचिव	अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.

20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/

Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest

shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेथ स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.

9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through

concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.

44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'
General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.

- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)

3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

|